राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर

क्रमांकः प.स.7(11)/प्र–1/केन्द्री.प्रवेश/2018/1949/10774 दिनांकः 01-6-2018

आर्चाय/अधीक्षक

राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

(सत्र अगस्त 2018 प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त)

विषयः **सत्र अगस्त 2018 हेतु प्रवेश अनुमति प्राप्त राजकीय/प्राईवेट आई.टी.आई. में केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश पोर्टल पर संस्थान की व्यवसायवार सीट मेट्रिक्स की जांच कर शुल्क अपलोड करने के संबंध मै।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र अगस्त 2018 हेतु एनसीवीटी/एससीवीटी योजनान्तर्गत प्रवेश अनुमति प्राप्त राजकीय आई.टी.आई. एवं एनसीवीटी योजनान्तर्गत प्रवेश अनुमति प्राप्त प्राईवेट आई.टी.आई. में केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश किये जाएगें। इस हेतु संबंधीत संस्थानों के ई–मेल पर login ID एवं Password भिजवाए जा रहे है। संस्थान प्रधान अपनी SSO ID से sso.rajasthan.gov.in में Login करने के पश्चात् ITI App पर क्लिक करें और ITI Admission 2018 आप्शन सलेक्ट करके निदेशालय द्वारा भेजी गई User ID (G Code & P Code) और Password भरकर संस्थान में सत्र अगस्त 2018 हेतु प्रवेश अनुमति प्राप्त व्यवसायों/यूनिटों की सीट मेट्रिक्स की जांच करेगें। संस्थान प्रधान द्वारा अपनी संस्थान की सीट मेट्रिक्स जांच लेने के पश्चात् व्यवसायवार **प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष मय कॉशन मनी, छात्र दुर्घटना बीमा प्रीमियम प्रति वर्ष राशि** को जोडकर पोर्टल पर फीस अनिवार्य रूप से अपलोड करेगें।

पोर्टल प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

(☛SSO ID☛Password☛ Citizen App☛ITI App☛ITI Admission 2018☛Login ID☛Password☛Institute☛Fees)

किसी प्रकार की विसंगति होने पर उसे निदेशालय को हेल्पलाईन दूरभाष न. 8764502906, 8764502907 एवं ई–मेल rajitiadmission18@gmail.com पर अविलम्ब अवगत करावें।

केन्द्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के उक्त महत्वपूर्ण कार्य दिनांक 04.06.2018 से 08.06.2018 तक सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करावें। इसमें किसी प्रकार की त्रृटि होने पर संबंधीत संस्थान प्रधान उत्तरदायी होगें। नवीनतम जानकारी हेतु निरन्तर विभागीय वैबसाईट http://livelihoods.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

नोटः– जिन प्राईवेट संस्थानों द्वारा वैब–पोर्टल पर फीस का विवरण अपलोड नहीं किया जाएगा उन संस्थानों/व्यवसायों को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा डीएफिलिएशन कार्यवाही प्रस्तावित हेतु संबंधीत संस्थान को नोटिस जारी किया जाएगा।

भवदीय,

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांकः प.स.7(11)/प्र–1/केन्द्री.प्रवेश/2018/1949/10775-76 दिनांकः 01-6-2018

प्रतिलिपिः 1– संयुक्त निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर– 302005 को भेजकर निवेदन है कि पोर्टल पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

2– उपनिदेशक प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर को भेजकर लेख है कि आप अपने क्षैत्राधीन राजकीय/प्राईवेट संस्थानों को उक्तानुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करावें।

उपनिदेशक प्रशिक्षण